नवम्बर/दिसम्बर,2015 से फरवरी,2016 तक किए गए प्रमुख प्रयास....

* ग्वालियर–मुम्बई हवाई सेवा को 28 अक्टूबर,15 से अनिश्चितकाल के लिए बंद किए जाने के विरोध में तथा उक्त हवाई सेवा को पुनः प्रारम्भ किए जाने की माँग करते हुए म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर द्वारा स्थानीय सांसद व केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री–माननीय श्री पी. अशोक गजपति राजू, नागर विमानन राज्य मंत्री–माननीय डॉ. महेश शर्मा, प्रदेश के मुख्यमंत्री–माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री–माननीया श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एयर इंडिया लि.–श्री अश्विनी लोहानी को पत्र प्रेषित कर ग्वालियर–मुंबई हवाई सेवा को व्हाया इंदौर शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की माँग की गई ।

* नगर–निगम द्वारा सम्पत्ति कर हेतु बदले गए परिक्षेत्रों के कारण सम्पत्ति कर की दरों में हुई अत्याधिक वृद्धि को वापिस लिए जाने हेतु चेम्बर द्वारा महापौर–माननीय श्री विवेकनारायण शेजवलकर को पत्र लिखकर परिक्षेत्रों में परिवर्तन किए जाने अथवा इन्हें पूर्ववत् ही रखे जाने की माँग की गई है, जिससे कि शहर के उद्योगपति, व्यवसाईगण सहित आमनागरिक अपना सम्पत्ति कर आसानी से जमा कर सकें ।

* वाणिज्यिक कर, वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण की समय–सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में चेम्बर द्वारा प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री, माननीय श्री जयंत मलैया एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त, इंदौर को पत्र प्रेषित करके, उक्त कर निर्धारण की समय–सीमा 30 जून,2016 तक बढ़ाए जाने की माँग की गई ।

* औद्योगिक क्षेत्र, बिरला नगर (तानसेन रोड) के मुख्य प्रवेश/निर्गम द्वार पर विगत् काफी समय से एक गहरा गड्ढा हो जाने के कारण औद्योगिक इकाईयों के संचालकगणों व श्रमिकों को आवागमन में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए उक्त गहरे गड्ढे को प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने व सम्पूर्ण मार्ग को आवागमन के सुगम संचालन हेतु महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर, आयुक्त, नगर–निगम एवं प्रबंध संचालक, आईआईडीसी को पत्र प्रेषित किए गए, ताकि उक्त क्षेत्र के उद्योगपतियों को आवागमन में सुविधा हो सके ।

* ग्वालियर में आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की नियुक्ति किए जाने हेतु चेम्बर द्वारा केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, भोपाल को पत्र प्रेषित किए हैं ।

* मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–माननीय श्री जयंत मलैया को पत्र प्रेषित कर इलेक्ट्रोनिक्स एवं ऑटोमोबाइल्स डीलर्स को ग्वालियर व्यापार मेला में वाणिज्यिक कर में छूट प्रदान करने की माँग की गई । ज्ञात रहे पूर्व में 50% छूट दी जाती थी, जिसके कारण देश की कई ख्याति प्राप्त इलेक्ट्रोनिक्स एवं ऑटोमोबाइल्स कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों की लाँचिंग एवं विक्रय इस मेले में की जाती थी, परन्तु प्रदेश में वैट प्रणाली लागू हो जाने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा इस व्यापार मेले को प्रत्येक वर्ष दी जा रही 50% वाणिज्यिक कर छूट को समाप्त कर दिए जाने से इस ऐतिहासिक व्यापार मेले का स्वरूप ही सीमित हो गया है ।

* आगरा फोर्ट–अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन ग्वालियर से किए जाने हेतु उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र प्रेषित किया गया । ज्ञात रहे उक्त ट्रेन लगभग 16 घंटे तक आगरा में खड़ी रहती है । अतः अंचल के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्रेन का संचालन ग्वालियर से आसानी से किया जा सकता है ।

* मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–माननीय श्री जयंत मलैया को चेम्बर द्वारा पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि म. प्र. के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मंगाए जाने वाले दलहन जिनमें तुअर/अरहर, मूंग, उड़द, चना, मसूर, मटर/बटरा/बटरी पर मण्डी छूट की अवधि विगत् दिनांक 22 अगस्त,2015 को समाप्त हो गई है, परन्तु म. प्र. शासन द्वारा मण्डी छूट आज दिनांक तक नहीं दी गई है । अतः प्रदेश के बाहर से मंगाए जाने वाले दलहन पर मण्डी शुल्क छूट दिए जाने आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जाएँ । अर्क एवं एसेंसेस पर प्रस्तावित कर वृद्धि को वापिस लिए जाने के संबंध में भी पत्र प्रेषित किए गए ।

* मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–माननीय श्री जयंत मलैया, केन्द्रीय मंत्री–माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री–माननीया श्रीमती माया सिंह, राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री–माननीय श्री रामपाल सिंह को पत्र लिखकर माँग की गई है कि लोहा मण्डी की स्थापना हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए, ताकि लोहा व्यवसाईयों को नवीन लोहा मण्डी में शीघ्र प्लॉट आवंटित हो सकें ।

* कोहरे के चलते रेलवे द्वारा शताब्दी एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी सहित अन्य कई ट्रेनों को सप्ताह में दो–तीन दिन के लिए निरस्त किए जाने पर चेम्बर ने रेलमंत्री, श्री सुरेश प्रभु, महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, डीआरएम–झाँसी को पत्र लिखकर उक्त ट्रेनों को निरस्त करने की बजाए कम दूरी यानि की नई दिल्ली/निजामुद्दीन–ग्वालियर के मध्य संचालित किया जाए।

* प्रबंध संचालक, आईआईडीसी का पदभार ग्रहण करने पर डॉ. सत्येन्द्र सिंह जी को चेम्बर द्वारा बधाई पत्र प्रेषित करते हुए आशा व्यक्त की गई कि उनके कार्यकाल में अंचल के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई जाएँगी तथा नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा ।

* ग्वालियर–मुम्बई हवाई सेवा को अश्रीशीपरीश ञ्रू व्हाया इन्दौर चलाने की माँग नागर विमानन मंत्री, श्री पी. अशोक गजापति राजू एवं सीएमडी, श्री अश्विनी लोहानी को पत्र लिखकर की है ।

* जिलाधीश, डॉ. संजय गोयल को पत्र लिखकर चेम्बर ने माँग की है कि मिनी चार पहिया वाहनों को शहर में संचालन की समय–सीमा प्रातः 7.00 से सायं 7.00 बजे तक की जाए, जिससे शहर में सीमेंट, खाद व कोयला व खाद्य पदार्थों की पूर्ति आसानी से हो सके ।

* प्रधान आयकर आयुक्त, श्री ए. के. जायसवाल जी से चेम्बर के पदाधिकारियों ने भेंट करके, संस्था में पधारने का विनम्र अनुरोध किया ।

* केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली एवं केन्द्रीय इस्पात व खान मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर ग्वालियर हेतु स्वीकृत सेवाकर आयुक्त कार्यालय की स्थापना यथाशीघ्र ग्वालियर में कराने की माँग की गई है ।

* चेम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2010–11, 2012–13 एवं 2013–14 का टीडीएस रिफण्ड शीघ्रातिशीघ्र दिलाने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

* ग्राम प्रेमसर जिला–श्योपुर की हरिजन बस्ती में फूटी पाड़ पर पुलिया निर्माण किए जाने हेतु जिलाधीश, श्योपुर एवं चंबल संभाग के आयुक्त को पत्र प्रेषित किया गया ।

* श्री व्ही. एल. कांताराव, उद्योग आयुक्त को पत्र लिखकर उद्योगों की समस्याएँ, जैसे कि नगर–निगम, ग्वालियर द्वारा परिक्षेत्र बदले जाने से उद्योगों पर 300% तक सम्पत्ति से राहत दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों के परिक्षेत्रों को पूर्व की भांति ही रखा जाए । बिरला नगर औद्योगिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने व सड़क का निर्माण शीघ्र किए जाने सहित विभाग द्वारा लघु उद्योगों को वृहद उद्योगों की विजिट कराए जाने की माँग की गई है ।

* श्योपुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु श्योपुर में शिविर आयोजित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की माँग की गई है ।

* ऑटोमोबाइल्स डीलर्स की व्यवसायिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मिनी चार पहिया वाहनों को दिन के समय शहर में आवागमन की अनुमति दिए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, ताकि मिनी चार पहिया वाहनों के माध्यम से स्टोक यार्ड से शोरूम तक टू–व्हीलर्स वाहनों की लोडिंग व अनलोडिंग संभव हो सके ।

* वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत होने वाले केन्द्रीय बजट हेतु चेम्बर द्वारा डायरेक्ट टैक्स व इनडायरेक्ट टैक्स पर विभिन्न सुझाव पर प्रीबजट मेमोडेण्डम, केन्द्रीय मंत्री–श्री अनन्त कुमार एवं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपा गया ।

* केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री अनन्त कुमार को ग्वालियर अंचल की उद्योग–व्यापार एवं अन्य समस्याओं पर एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ।

* व्यवसाई–श्री नितिन जुमरानी की खोज किए जाने हेतु, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मंत्री–श्रीमती माया सिंह, डीजीपी–भोपाल, जिलाधीश, ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किए गए ।

* वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गाइड लाईन निर्धारण हेतु सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए कम से कम सात दिन का समय दिए जाने की माँग जिलाधीश ग्वालियर को पत्र लिखकर की गई ।

* केन्द्र सरकार द्वारा म. प्र. के लिए साढ़े पाँच हजार करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले खाद कारखाने की स्थापना ग्वालियर में किए जाने हेतु केन्द्र से अनुशंसा करनेतथा भूमि उपलब्ध बावत् मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री-श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया व महिला व बाल विकास मंत्री-श्रीमती माया सिंह सहित ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के समस्त विधायकों को पत्र प्रेषित कर, आवश्यक पहल का अनुरोध किया गया है ।

* माइक्रोमैक्स कं. की स्थापना ग्वालियर में किए जाने हेतु केन्द्रीय मंत्री-श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री-श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया को पत्र प्रेषित किए गए ।

* केन्द्रीय रेल मंत्री-श्री सुरेश प्रभु जी एवं अंचल के समस्त सांसदगणों को ग्वालियर अंचल की रेलवे संबंधी मांगों पर एक विस्तृत बजट पूर्व ज्ञापन प्रेषित किया गया ।

* महापौर एवं आयुक्त, नगर-निगम को परिक्षेत्रों के बदलाव को निरस्त कर, ठहराव में पारित आवासीय पर 25% एवं गैर आवासीय पर 35% की दर से सम्पत्ति कर वसूलने एवं कर वसूली में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों सहित सम्पत्ति कर में व्याप्त अनेक विसंगतियों पर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया ।

* वर्ष 2016-17 के लिए टैरिफ पिटीशन पर चेम्बर द्वारा म. प्र. विद्युत नियामक आयोग को सुझाव व आपत्तियाँ प्रेषित करते हुए विद्युत दरों में वृद्धि न किए जाने की माँग की गई है ।

* औद्योगिक इकाई, मेसर्स इंजीनियरिंग हूम पाईप की विद्युत काटे जाने के विरोध में म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक को पत्र प्रेषित।

* औद्योगिक क्षेत्र बिरला नगर में बगैर पूर्व सूचना के पॉवर कट किए जाने के विरोध में जिलाधीश-ग्वालियर सहित म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक को पत्र प्रेषित ।

* चेम्बर द्वारा केन्द्रीय वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली एवं एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक व महाप्रबंधक को पत्र लिखकर माँग की गई है कि ग्राहकों व आमजनता की सुविधा हेतु बैंकों द्वारा भारत सरकार की भांति एक स्टार्टअप योजना प्रारम्भ की जानी चाहिए, जिसमें वर्तमान ग्राहकों के साथ-साथ नवीन ग्राहकों के लिए नवीन व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए । साथ ही, आपदा/विपदा ग्रस्त व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए न्यूनतम ब्याज की दर पर ऋण स्वीकृत किए जाने चाहिए, ताकि वह अपने कारोबार को पुनः प्रारम्भ कर सकें । व्यवसाईयों एवं उद्योगपतियों का दुर्घटना बीमा भी किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी बीमा पॉलिसी की राशि से क्षतिपूर्ति संभव हो सके । उद्यमियों व व्यवसाईयों को बैंक द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसका बैंक द्वारा बीमा किया जाता है, परन्तु जो उद्यमी यह लोन ले रहा है, उसका जोखिम बैंक द्वारा नहीं उठाया जाता है । अतः जिस उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, उस संस्थान के बीमा के साथ-साथ, उसको प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति/उद्यमी का भी व्यक्तिगत् दुर्घटना बीमा बैंक द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित होने के पश्चात् बीमा से क्षतिपूर्ति संभव हो सके ।

* विद्युत वितरण कं. द्वारा टैरिफ पिटीशन वित्तीय वर्ष 2016-17 में औद्योगिक श्रेणी हेतु टैरिफ में प्रस्तावित की गई दर वृद्धि को वापिस लिए जाने हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, श्रीमंत यशोधराराजे सिंधिया एवं अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को पत्र प्रेषित किए गए ।

* भिण्ड-इटावा रेल लाइन पर यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होने पर उक्त रेल खण्ड पर ट्रेनों का संचालन शीघ्रातिशीघ्र किए जाने हेतु मण्डल रेल प्रबंधक, झाँसी को पत्र प्रेषित किया गया ।

* वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत होने वाले आम बजट हेतु चेम्बर द्वारा डायरेक्ट टैक्स व इनडायरेक्ट टैक्स पर विभिन्न सुझाव, केन्द्रीय वित्तमंत्री-श्री अरुण जेटली को प्रेषित किया गया ।

* अतिक्रमण हटाओं अभियान के विरोध में महापौर एवं आयुक्त, नगर-निगम को पत्र लिखकर, माँग की गई कि संबंधित बाजारों के संगठनों के प्रतिनिधियों के बैठक करके, सर्वमान्य हल निकाल कर ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए ।

*	नवीन लोहा मण्डी की शीघ्र स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, सहयोग करने हेतु केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री–श्रीमती माया सिंह एवं जिलाधीश, ग्वालियर को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रस्तावित बजट पर, बजट पूर्व विस्तृत ज्ञापन विभिन्न माँगों के साथ वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–माननीय श्री जयंत मलैया जी को ग्वालियर कैम्प के दौरान प्रेषित किया गया ।

*	गिरवाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाईयों की खुली भूमि से आवासीय दर पर सम्पत्ति कर वसूल किए जाने एवं उक्त क्षेत्र को पूर्ववत् परिक्षेत्र–2 में रखे जाने हेतु महापौर–श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित किया गया ।

*	ग्वालियर में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना किए जाने हेतु केन्द्रीय विदेश मंत्री, भारत सरकार–श्रीमती सुषमा स्वराज एवं केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किया गया ।

*	औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पत्ति कर की दरों में नगर–निगम द्वारा की गई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्री–श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया एवं प्रभारी मंत्री–श्री जयंत मलैया को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, जीयाजी चौक (बाड़ा) पर ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग हेतु महापौर–श्री विवेक नारायण शेजवलकर, जिलाधीश–ग्वालियर एवं आयुक्त, नगर–निगम को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	ग्वालियर–मुम्बई हवाई सेवा के किराए को न्यायसंगत किए जाने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, एयर इंडिया लि.–श्री अश्विनी लोहानी को पत्र प्रेषित किया गया ।

*	10 कर्मचारियों पर ईपीएफ लागू किए जाने के विरोध में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री–श्री बंडारू दत्तात्रेय एवं केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं फिक्की, नई दिल्ली एवं फेडरेशन–भोपाल सहित प्रदेश के सभी चेम्बर्स को पत्र प्रेषित किए गए।

*	घरेलू व गैरघरेलू उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु सरचार्ज माफी सुविधा योजना उपलब्ध कराने हेतु श्री आई.सी.पी. केसरी, अध्यक्ष, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कं. लि., प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. एवं अध्यक्ष, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा म. प्र. के लिए स्वीकृत, खाद कारखाने की स्थापना ग्वालियर जिले में किए जाने हेतु स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा करने हेतु चेम्बर के पदाधिकारियों को भोपाल में भेंट करने के लिए समय उपलब्ध कराने बावत् मुख्यमंत्री–श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस, निजामुद्दीन–कन्याकुमारी एक्सप्रेस, निजामुद्दीन–यशवंतपुर एक्सप्रेस, निजामुद्दीन–सिकन्दराबाद एक्सप्रेस एवं छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोके जाने तथा आगरा फोर्ट–अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़ाए जाने हेतु केन्द्रीय मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र प्रेषित किया गया ।

*	प्लायवुड पर वैट 5% से बढ़ाकर 14% किए जाने के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री–श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर आयुक्त सहित फेडरेशन–भोपाल व प्रदेश के समस्त चेम्बर्स को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	आगामी इण्ड–एक्सपो का आयोजन ग्वालियर में किए जाने हेतु निदेशक, एमएसएमई, इंदौर एवं वाणिज्यि व उद्योग मंत्री–श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व नजूल की एनओसी को समाप्त किए जाने हेतु जिलाधीश, ग्वालियर, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन एवं राजस्व मंत्री, श्री रामपाल सिंह को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	ऑनलाइन रजिस्ट्री में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किए जाने एवं इस समस्या के समाधान होने तक मेन्युअल रजिस्ट्री को भी जारी रखे जाने हेतु वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–श्री जयंत मलैया, मुख्य सचिव–श्री अंटोनी जे. सी. डिसा, वाणिज्यिक कर सचिव–श्रीमती दीपाली रस्तोगी एवं महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल को पत्र प्रेषित किए गए ।

*	सर्राफा कारोबारियों एवं आभूषण निर्माताओं पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में प्रधानमंत्री–श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री–श्री अरुण जेटली सहित सांसदगणों एवं फिक्की, नई दिल्ली एवं फेडरेशन, भोपाल के अध्यक्षद्वय को पत्र प्रेषित कर माँग की गई है कि सर्राफा कारोबारियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए 1% एक्साइज ड्यूटी को तत्काल वापिस लिया जाए ।

*	लोहा, इस्पात, तिलहन एवं खाद्य तेल, पान मसाला तथा चाय पर राज्य सरकार द्वारा बजट में ट्रांजिट पास लगाए जाने एवं सभी करमुक्त वस्तुओं पर फार्म–49 की समाप्ति की घोषणा नहीं किए जाने, कर योग्य वस्तुओं पर फॉर्म–49 लागू होने के बावजूद, जाँच चौकियाँ को समाप्त नहीं किए जाने के विरोध में दिनांक 1 मार्च को 'चेम्बर भवन' में बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में शहर के वरिष्ठ कर सलाहकार (अभिभाषकगण) सहित संबंधित व्यवसाय से संबंधित समूह के कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्यगण तथा व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए । बैठक में चरणबद्ध विरोध करने पर सर्वसम्मति हुई । पुनः 4 मार्च को बैठक आयोजित की गई । बैठक में पूर्व पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण, एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे । बैठक में रणनीति तय कर, सभी बाजारों में काले झण्डे लगाए जाने, प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाए जाने के लिए फेडरेशन–भोपाल सहित प्रदेश के समस्त चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स से सम्पर्क किए जाने का निर्णय लिया गया ।